भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 167
03 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाया जाना

167. **श्री एस.कल्याणसुन्दरम:**
श्री आर. गिरिराजन:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि छोटे किसानों और वनाश्रित समुदायों को सभी प्रकार के तिलहन उगाने और एकत्र करने के लिए भारी प्रोत्साहन देने से खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) सरकार देश में तिलहनों (मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड और सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, तिल, नाइजर, अलसी और अरंडी) के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके तथा वृक्ष जनित तिलहनों (जैतून, महुआ, कोकम, जंगली खुबानी, नीम, जोजोबा, करंजा, सिमरोबा, तुंग, चेउरा और जेट्रोफा) के क्षेत्र विस्तार द्वारा वनस्पति तेलों की उपलब्धता बढ़ाने और खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (एनएफएसएम-ओएस) कार्यान्वित कर रही है।

एनएफएसएम-ओएस के अंतर्गत, छोटे किसानों सहित किसानों और खाद्य, औषधीय और अन्य प्रयोजनों के लिए टीबीओ से तेल निकालने वाले वनाश्रित समुदायों और आदिवासी लोगों को भी निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन के अंतर्गत किसानों को तीन व्यापक उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, अर्थात् (i) बीज घटक जिसमें प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी और प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रमाणित

बीज का वितरण, बीज केन्द्र, बीज अवसंरचना विकास और तिलहन फसलों की बीज मिनीकिटों की आपूर्ति शामिल है। (ii) उत्पादन आदान घटक जिसमें पौध संरक्षण (पीपी) उपकरणों, पीपी रसायन, जिप्सम/पाइराइट/चूना आदि का वितरण, परमाणु पॉलीहेड्रोसिस वायरस/बायो एजेंट, जैव-उर्वरक, उन्नत कृषि उपकरण, स्प्रिंकलर सेट, जल वाहक पाइप, बीज भंडारण डिब्बे, बीज उपचार ड्रम आदि शामिल हैं। (iii) प्रौद्योगिकी अंतरण घटक जिसमें अधिकारी प्रशिक्षण, किसान प्रशिक्षण, क्लस्टर प्रदर्शन, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन (सीएफएलडी), कृषक फील्ड स्कूल शामिल हैं, और सेमिनारों/किसान मेलों सहित आवश्यकता आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और फ्लेक्सी निधियों आदि।

(ii) एनएफएसएम-टीबीओ के अंतर्गत, नर्सरियों के एकीकृत विकास और नई बंजर भूमि के साथ-साथ मौजूदा बंजर भूमि/अवक्रमित वन भूमि पर वृक्षारोपण और वृक्षारोपण के दूसरे वर्ष से गेस्टेशन अवधि तक टीबीओ बागान के रखरखाव सहित क्षेत्र विस्तार आदानों के लिए, टीबीओ के साथ अंतरफसलन के लिए प्रोत्साहन और पूर्व प्रसंस्करण, प्रसंस्करण और तेल निष्कर्षण उपकरण का वितरण सहित उत्पादन आदानों और किसानों के प्रशिक्षण और अधिकारियों/विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सहित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, टीबीओ पर अनुसंधान एवं विकास और फ्लेक्सी फंड, आदि के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

एनएफएसएम-ओएस के अतिरिक्त, सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑयल पाम के लिए एक अलग मिशन अर्थात राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (आयल पाम) - एनएमईओ (ओपी) शुरू किया है। एनएमईओ (ओपी) को 2021-22 से 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है।

एनएमईओ-ओपी के अंतर्गत किसानों को रोपण सामग्री, 4 वर्ष की गेस्टेशन अवधि तक अंतरफसलन और रख-रखाव के लिए आदानों, बीज उद्यान की स्थापना, नर्सरियों, सूक्ष्म सिंचाई, बोरवेल/पंप-सेट/जल संरक्षण संरचना, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, सौर पंप, संचयन उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर सह हार्वेस्टर समूहों, किसानों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और पाम बागानों के पुनर्रोपण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नारियल विकास बोर्ड नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, उद्यमियों और अनुसंधान अध्ययनों के लिए नारियल उत्पादक किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

******